

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-मुंगेली (छ.ग.)

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन(ग्रामीण)

Email- zp-mungeli.cg@nic.in

—:विज्ञापन:—

क्रमांक/1105/जि.पं./VB-G RAM G/स्था./भर्ती-1/2026-27

मुंगेली, दिनांक 13/10/2026

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 संविदा पद (एकमुश्त वेतन) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं चाही गई योग्यताधारी तथा इच्छुक अभ्यर्थियों से विज्ञापन जारी दिनांक से 06.11.2026 सायं 5.30 बजे तक संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक (भारतीय डाक सेवा) के माध्यम से कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली (छ0ग0) में आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पद संख्या प्रवर्गवार					संविदा वेतन (मासिक एक मुश्त)	शैक्षणिक अर्हता एवं मेरिट अंक		
		अनारक्षित	अ	अजजा	अ.पि.व.	ह		शैक्षणिक अर्हता	विवरण	अंक
1	कार्यक्रम अधिकारी (विकसित भारत-जी राम जी)	01 (मुक्त)	0	0	01 (मुक्त)	02	(वेतनमान 9300-348 00 ग्रेड वेतन 4400) एक मुश्तरु. 39875/-	प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. / MRTM (Master of Rural Technology and Management) / गणित/भौतिक विषय में स्नातकोत्तर	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंको का Weightage देते हुये कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंको का Weightage देते हुये शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :- न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	70 15 5 10 15
2	लेखापाल (विकसित भारत-जी राम जी)	0	01 (मुक्त)	0	0	01	(वेतनमान 5200-202 00 ग्रेड वेतन 2400) एक मुश्तरु. 23350/-	55 प्रतिशत में बी. कॉम (अजा/अजजा हेतु 50 प्रतिशत में बी.कॉम) (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम उत्तीर्ण)	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंको का Weightage देते हुये कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :- न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	20 50 15 5 10 15

(कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय विकसित भारत-जी राम जी द्वारा अनुमोदित)

विज्ञापन में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि अथवा संशोधन होने पर राज्य कार्यालय के पत्र क्रमांक/1/608889/2026 दिनांक 31.08.2026 अनुसार निर्देशों का पालन किया जावेगा। विज्ञापन, नियम व अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना पटल तथा जिले की वेबसाईट <https://mungeli.gov.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।

Digitally signed by
GOKUL RAM RAWTE
Date: 13-10-2026
17:49:15

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मुंगेली (छ.ग.)

नियम व शर्त :-

1. यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. नियुक्ति की अवधि : संविदा नियुक्ति प्रथम बार 01 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं कार्य व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर 01 बार में 01 वर्ष के लिए सेवा वृद्धि की जावेगी। संविदा नियुक्ति के पश्चात् शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक वर्ष सेवा वृद्धि की जावेगी। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त होने की दशा में नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। भविष्य में शासन स्तर से संविदा सेवा अवधि में वृद्धि हेतु जारी निर्देश मान्य होगा।
3. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त सेवक की संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. समस्त नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023 अ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के पत्र में दिये गये निर्देशों के अधीन होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19688/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
6. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तत्संबंध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक Rule/644/2025-GAD-3 नवा रायपुर दिनांक 16.09.2026 अनुसार शासकीय सेवा में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम/मण्डल/संविदा कर्मी/नगर सैनिकों के अभ्यर्थियों की आयु अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व., भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थी को राज्य शासन के द्वारा जारी परिपत्र अनुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता रहेगी।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. निःशक्तजन (दिव्यांग) को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व-प्रमाणित होना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
12. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 एवं यथा संशोधित 2019 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त नियम व शर्तें लागू होगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
15. **चयन प्रक्रिया** -आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है, तो प्राप्त कुल पात्र आवेदन पत्रों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी और उनको कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। तदुपरांत अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
16. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
17. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

19. अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित जिला पंचायत/संस्थान से कराया जा सकता है एवं संबंधित संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के कार्य व्यवहार संबंधी अभिमत प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त होने वाले अभिमत में यदि नकारात्मक टीप प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का चयन/नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
20. यदि भूपू.सै. अभ्यर्थी है तो संबंधित पद/विभाग का सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि संबंधित उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में उस प्रवर्ग से उम्मीदवार को चयन समिति के निर्णय से वरीयता क्रम में लिया जावेगा।
21. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता, अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार, स्वेच्छाचारिता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत किसी पद से पृथक किया गया है, तो वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि इस संबंध में नियुक्ति होने के बाद संज्ञान में आता है, तो नियुक्ति निरस्त की जावेगी साथ ही गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
22. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
23. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
24. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से उसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
25. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा 10-10 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ 02 लिफाफा भी संलग्न करें।
26. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
27. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
28. आवेदक का आवेदन दिनांक 06.11.2026 को सायं 5.30 बजे तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली(छ.ग.) पिन कोड 495334 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 06.11.2026 को सायं 5.30 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
29. विज्ञापन एवं आवेदन का विस्तृत प्रारूप कार्यालय, जिला पंचायत मुंगेली तथा जिले के जनपद पंचायतों के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट <https://mungeli.gov.in> में देखा जा सकता है।

(कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय विकसित भारत-जी राम जी द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
GOKUL RAM RAWTE
Date: 13-10-2026
17:57:40

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मुंगेली (छ.ग.)

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन(ग्रामीण)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

स्व-प्रामाणित
वर्तमान
फोटोचिपकाएं

आवेदित पद का नाम

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मुंगेली (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम (हिंदी में) :
- (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. वर्ग (अजा/अजजा/पि.वर्ग/सामान्य) :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न)
4. लिंग (महिला/पुरुष) :
5. जन्मतिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
6. आयु (01.01.2026 के अनुसार) : वर्ष माह..... दिवस.....
7. स्थायी पता :
- :
- : पिन कोड
8. पत्र व्यवहार का पता :
- :
- : पिन कोड
9. ई-मेल एड्रेस :
10. क्या आप छ.ग. के मूल निवासी हैं (हां/नहीं)
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न) :
11. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी (दस्तावेजों की स्वप्रामाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय का नाम	बोर्ड /वि. विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

12. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव का विवरण (संलग्न करें)

क्र.	पद का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यरत अवधि			वेतनमान एवं संविदा वेतन	नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
			कब से	कब तक	कार्य अवधि		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
कुल अनुभव अवधि							

13. क्या आवेदक को पूर्व में अनियमितता के आधार पर पद से पृथक किया गया है अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गयी है, यदि हां तो जानकारी दें :

14. क्या आप दिव्यांग है ? :

(यदि है तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत) :

15. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि को :

(आयु वर्ष में)

जीवित बच्चों की संख्या :

16. क्या उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो

जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो (हां/नहीं) :

टीप :- जाति, मूलनिवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता अन्य चाही गई योग्यता अनुभव, व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

संलग्न प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की सूची

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा –पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है, इनमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक(आवेदक का पूरा नाम)